



Neutral Citation No. - 2026:AHC:1203

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 18483 वर्ष 2025

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी / सहायक सब

इंस्पेक्टर दीपक सिंह और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य राज्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के लिए अधिवक्ता	:	अरविंद कुमार तिवारी
प्रतिवादी(गण) के लिए अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार तिवारी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।

2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की नियुक्ति वर्ष 2016 में गाजियाबाद जिला आयुक्त कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर हुई थी और वर्ष 2024 में उन्हें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-बी के पद पर पदोन्नत किया गया तथा उनका स्थानांतरण बिजनौर से अयोध्या कर दिया गया, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 2 का स्थानांतरण बिजनौर से प्रतापगढ़ कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, कार्यभारमुक्ति आदेश दिनांक 10.09.2025 को पारित किया गया था। उनका निवेदन है कि शासनादेश दिनांक 06.05.2025 के अनुसार, कार्यभारमुक्ति एक सप्ताह के भीतर की जानी थी। उनका यह भी निवेदन है कि इस संबंध में दिनांक 17.10.2025 को एक परिपत्र जारी किया गया है। इस मामले में इस न्यायालय के कई निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जिसमें विशेष अपील संख्या 481 वर्ष 2024, निर्णीत दिनांक 14.05.2024 भी शामिल है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. इस याचिका में स्थानांतरण और कार्यभारमुक्ति के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता उक्त स्थिति पर विवाद नहीं कर सके। उनके अनुसार, शासनादेश और परिपत्र प्रतिवादियों पर बाध्यकारी हैं। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को स्थानांतरण के दिनांक से कार्यमुक्ति तक पद पर बनाए रखने के लिए कोई अपवादात्मक कारण नहीं बताए गए हैं। उनका निवेदन है कि आदेश को रद्द किया जाए।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और सावधानीपूर्वक अभिलेख का परिशीलन किया।

6. स्पष्टतः, स्थानांतरण आदेश 14.06.2025 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ताओं को कार्यभारमुक्ति आदेश दिनांक 10.09.2025 के आधार पर कार्यभारमुक्त कर दिया गया बताया गया है। चूंकि प्रतिवादियों के परिपत्रों में यह उल्लेख है कि कार्यभारमुक्ति 7 दिनों की अवधि के भीतर की जानी है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को इस संबंध में अवकाश के अधीन स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, यह मुद्दा अब अनिर्णीत विषय नहीं है क्योंकि इस पर विशेष अनुज्ञा संख्या 481 वर्ष 2024, निर्णीत दिनांक 14.05.2024 में निर्णय हो चुका है।

7. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

8. प्रतिवादी संख्या 2, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा पारित आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 14.06.2025 और प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा पारित किए गए परिणामी आदेश दिनांक 10.09.2025 को, जहाँ तक कि याचिकाकर्ताओं से संबंधित है, रद्द किया जाता है, यदि आवश्यकता पड़े तो, नया आदेश पारित करने की अनुमति दी जाती है।

6 जनवरी, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)